झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

पत्र सं0– 02.त0शि0/योजना– 06/2023 – 08/उ0जन्ना /राँची, दिनांक– 18/05/2023

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

राहुल कुमार पुरवार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखंड, राँची।

विषयः– **राजकीय पोलिटेकनिक, दुमका के परिसर में निर्माणाधीन तारामंडल के लिए चाहरदिवारी एवं गेट के निर्माण कार्य से संबंधित रू0 70,07,000/–(रू0 सत्तर लाख सात हजार) मात्र की प्राक्कलित राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेश :–स्वीकृत।

राज्य सरकार द्वारा दुमका जिला में Creative Meseum Designers (CMD) Kolkata के द्वारा राजकीय पोलिटेकनिक, दुमका के परिसर में तारामंडल का निर्माण कार्य किया रहा है। दिनांक 04.01.2023 को आहूत झारखण्ड विज्ञान, प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद् की समीक्षा बैठक में उक्त तारामंडल के सुरक्षा हेतु चाहरदिवारी का निर्माण कार्य कराने का निर्णय लिया गया है तथा इस संबंध में JSBCCL से अनुरोध किया गया है। तत्पश्चात कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड का पत्रांक 1019(नि0) दिनांक 28.04.2023 द्वारा राजकीय पोलिटेकनिक, दुमका के परिसर में निर्माणाधीन तारामंडल तथा प्रस्तावित जिला विज्ञान केंद्र के लिए चाहरदिवारी एवं गेट के निर्माण कार्य से संबंधित रू0 70,07,000/–(रू0 सत्तर लाख सात हजार) मात्र के प्राक्कलन पर तकनीकी अनुमोदन Estimate No.- 377/TA/H.E./JSBCCL/2023-24, Page No. 185 दिनांक 28.04.2023 के साथ विभाग को उपलब्ध कराया गया है।

2. अतः उक्त के आलोक में राजकीय पोलिटेकनिक, दुमका के परिसर में निर्माणाधीन तारामंडल तथा प्रस्तावित जिला विज्ञान केंद्र के चाहरदिवारी एवं गेट के भवन निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि रू0 70,07,000/–(रू0 सत्तर लाख सात हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है –

	Description	कुल राशि
1	Civil of 345 Mtr. New Boundary Wall & 172 Mtr. Existing Boundary Wall Renovation with Concertina coil	47,74,947.81
2	Cost of 60 Mtr. (Grill work)	1,57,072.32
3	Cost of 2 Nos. Gate	6,21,045.58
	Total (A)	**55,53,065.71**
4	Add 18% GST of 'A"	9,99,551.82
	Total (B)	**65,52,617.54**
5	Add Laour Cess @ 1% of B	65,526.18
	Total (C)	66,18,143.72
6	**Add** JSBCCL Charge @ 7% on A **(D)**	**3,88,714.60**
	Total (C+D)	70,06,858.32
	Say Rs.	**70,07,000.00**
		(रू0 सत्तर लाख सात हजार) मात्र

3 (क) उपबंध एवं राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–4202–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–उप मुख्यशीर्ष–02–तकनीकी शिक्षा–लधु शीर्ष–105–इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान/उपशीर्ष–06–तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण–इंजीनियरिंग कॉलेज/पोलिटेकनिक/खनन् संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्वार हेतु निर्माण कार्य इकाई से की जायेगी।

(ख) उपबंध एवं राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–4202–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–उप मुख्यशीर्ष–02–तकनीकी शिक्षा–लधु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना/उपशीर्ष –06–तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण–इंजीनियरिंग कॉलेज/पोलिटेकनिक/खनन् संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्वार हेतु निर्माण कार्य इकाई से की जायेगी।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग होगें एवं राशि की निकासी कर नियमानुसार चालान के माध्यम से झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के PL खाते में राशि जमा करेगें।
5. यह कार्य झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा निविदा के माध्यम से कराया जायेगा तथा तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन पर निगम द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते हुए निविदा कार्य प्रारम्भ करेगे। स्वीकृत योजना का निर्माण कार्य अवधि कार्यानुमति निर्गत की तिथि से 90 दिन होगी।
6. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा PWD कोड़ के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन के उपरान्त विषयांकित कार्य संबंधी राशि का नियमानुसार निकासी एवं व्ययन करना सुनिश्चित की जायेगी।
7. स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नही किया जाय, यह संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोत्रो से राशि नही प्राप्त किया गया है।
9. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17/04/98 के आलोक में की जाएगी राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहितदिशा–निर्देश एवं समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
10. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा से की जायगी।
11. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।
12. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
13. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी, टी0भी0नं0 सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेगें।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक– 02.त0शि0/योजना– 06/2023 /राँची, दिनांक–

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के सचिव

ज्ञापांक– 02.त0शि0/योजना– 06/2023 /राँची, दिनांक–

प्रतिलिपि :–योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखण्ड/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/बजट पदाधिकारी/विभागीय अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/लेखा शाखा/प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, दुमका/कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद्/उप महानिदेशक, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, (NCSM) कोलकाता/प्रबंध निदेशक, Creative Museum Designers (CMD), कोलकाता/प्रभारी निर्गत शाखा को गार्ड फाईल में रखने हेतु एक अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के सचिव

ज्ञापांक– 02.त0शि0/योजना– 06/2023 – 08/योजना /राँची, दिनांक– 18/05/2023

प्रतिलिपि :– प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची को इस आशय के साथ प्रेषित है कि आवंटित कार्य का निविदा के पश्चात कार्यानुमति निर्गत कर अभिलेख विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

18.5.23
सरकार के सचिव